Bihar board class 8th civics notes chapter 3

संसदीय सरकार (लोग व उनके प्रतिनिधि)

पाठ का सारांश– भारतीय संविधान यह सुनिश्चित करता है कि देश के सभी लोग देश की शासन प्रणाली का हिस्सा बनें-अप्रत्यक्ष रूप से, अपने प्रतिनिधियों के द्वारा । 18 वर्ष या उससे ऊपर के सभी नागरिक अपना मत देकर अपने प्रतिनिधि चुन सकते हैं। ये प्रतिनिधि अलग-अलग स्तर पर चुने जाते हैं, जैसे ग्राम पंचायत, राज्य विधान सभा और संसद । अपने क्षेत्र का विकास करना व क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का निदान करना प्रतिनिधियों
की जिम्मेवारी होती है। इन प्रतिनिधियों का चुनाव पाँच वर्षों के लिए होता है। यदि ये ठीक से काम न करें तो लोग इन्हें दूसरी बार वोट न देकर अगली सरकार में शामिल होने से रोक सकते हैं। हमारे प्रतिनिधि कानून बनाने, उन्हें लागू करने और शासन के जरूरी निर्णय लेने का कार्य करते हैं। हमारे प्रतिनिधि पाँच साल के लिए चुने जाते हैं।

संसद का गठन- राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य सभा, इन तीनों अंगों को मिलाकर ही संसद बनती है।

लोक सभा–भारतीय ससद के दो सदन हैं—लोक सभा और राज्य सभा । लोक सभा जहाँ निचला सदन है वहीं राज्य सभा उच्च सदन है। लोक सभा के प्रतिनिधि सीधे लोगों द्वारा चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। लोक सभा के लिए चुनाव पाँच साल में होता है लोक सभा चुनावों के लिए देश को कई निर्वाचन क्षेत्रों में बाँटा जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। इस समय लोकसभा में 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। जहाँ राजनैतिक दलों के सदस्य चुनाव लड़ते हैं वहीं निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव लड़ते हैं। दो सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से भी मनोनीत किये जाते हैं। सांसदों को एम० पी० भी कहते है। लोक सभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष चुनते हैं।

राज्यसभा – राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इस उच्च सदन में 238 निर्वाचित तथा 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। राज्य के लोग विधान सभा के सदस्यों को चुनते हैं और विधान सभा के सदस्य राज्य सभा के सदस्यों को चुनते हैं। प्रत्येक दो साल के बाद राज्य सभा के एक तिहाई सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। इस तरह राज्य सभा कभी
भंग नहीं होती है। राज्य सभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।

राष्ट्रपति—संसद का तीसरा अंग राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से करता है। सरकार का गठन जिस राजनैतिक दल को लोक सभा की आधे से अधिक सीटें प्राप्त होती हैं, उस दल नेता को राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। लोक सभा के 543 में से कम से कम 272 सीट जीतना बहुमत प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है । यदि कोई दल 272 सीट अकेले न जीत पाए तो एक से अधिक दल मिलकर सरकार बना सकते हैं जिसे गठबंधन की सरकार कहा जाता

प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद- बहुमत दल या बहुमत दलों के गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है । राष्ट्रपति की सलाह से प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। यदि कोई व्यक्ति बिना संसद के सदस्य बने मंत्री या प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो उसे छह महीने के अंदर सांसद के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है। प्रधानमंत्री का सरकार में सर्वोच्च स्थान होता है।
संसद के कार्य-

https://www.evidyarthi.in/

1. विधायी कामकाज – संसद पूरे देश के लिए कानून बनाती है
2. वित्तीय कार्य -संसद सरकार के कार्यों के लिए धन का प्रबंध करती है।
3. संसद सरकार को नियंत्रित करती है, मार्गदर्शन देती है और महत्त्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराती है।
4. प्रश्नकाल में प्रश्न पूछती है।
5. मंत्रिपरिषद् के कार्यों से असंतुष्ट होने पर उसके खिलाफ संसद अविश्वास प्रस्ताव भी लाती है।

evidyarthi

https://www.evidyarthi.in/